जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2020/डी–1320 दिनांकः– 21/9/2020

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 230वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 230.1 (17.09.2020):–**

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 229वीं बैठक दिनांक 04.09.2020 को सम्पन्न हुई, 229वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा।

निर्णयः– *भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की दिनांक 04.09.2020 को सम्पन्न हुई 229वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा की गई एवं कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।*

2. **एजेण्डा नम्बर 230.2 (17.09.2020)(जोन–08):–**

विषयः– भूखण्ड संख्या 4 डी, योजना सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र, सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री रमाकान्त जौहरी, अध्यक्ष, मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार वेलफेयर सोसायटी।

निर्णयः– *एजेण्डा नोट एवं भवन मानचित्रों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचारणीय बिन्दु के संबंध में रियायती दर पर आवंटित भूखण्ड की निर्माण अवधि की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 13 पर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने योग्य हैं। अतः एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 14 पर उल्लेखित प्रस्ताव की शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

3. **एजेण्डा नम्बर 230.3 (17.09.2020)(जोन–09):–**(JDA/2020-21/BPAS-203)

विषयः– खसरा नम्बर 1521/1, ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जयपुर के ऑनलाईन आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्रीमती ज्योति परनामी पत्नी श्री राजेश परनामी।

निर्णयः– *प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या–12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या–13 के प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

4. **एजेण्डा नम्बर 230.4 (17.09.2020)(जोन–11):–**

विषयः– खसरा नम्बर 129 से 137, 141, 142, 142/239 व 282/138, ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर "महिमा शुभ निलय फेज–प्रथम (पार्ट–2) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग की भवन निर्माण अवधि बढ़ायें जाने बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत प्रतिनिधि, मैसर्स ग्रीन बिल्ड एस्टेट प्रा.लि.

निर्णयः– *एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि नियमानुसार लेय शुल्क विकाकसर्ता से लिये जाकर भवन अनुज्ञा अवधि 2 वर्ष अर्थात दिनांक 17.02.2024 तक बढ़ाई जावें।*

5. एजेण्डा नम्बर 230.5 (17.09.2020)(जोन–12):–

विषयः– खसरा नम्बर 255/1, ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर के टेक्निल ट्रेनिंग सेन्टर संस्थानिक आवंटन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री सत्यनारायण यादव, जरिये सचिव, लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था

निर्णयः– *प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या–12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या–13 के प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो (शर्त संख्या 4 को छोड़ते हुए) की सुनिश्चितता किये जाने एवं भूखण्ड़ के दक्षिणी सीमा में 2 चौकीदार कमरें, टॉयलेट (टीनशेड़) निर्मित हैं, को हटायें जाने एवं पश्चिम दिशा की बाउण्ड्रीवॉल, जो कि मध्य भाग से आंशिक भूखण्ड़ के अन्दर की तरफ Curve में हैं, को जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान के अनुसार सीधा किये जाने बाबत शपथ पत्र संस्था से लिया जावें। साथ ही उक्तानुसार मौके पर नियमानुसार सेटबैक सुनिश्चित होने के उपरान्त भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

6. एजेण्डा नम्बर 230.6 (17.09.2020)(जोन–12):–

विषयः– खसरा नम्बर 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 एवं 529, ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, सीकर रोड़, जयपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री मंयक राज मोदी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, दी ग्रीन त्रिवेणी डवलपर

निर्णयः– *एजेण्डा नोट एवं भवन मानचित्रों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचारणीय बिन्दु के संबंध में निर्माण अवधि 2 वर्ष बढ़ायें जाने का शुल्क लिया जाकर भवन निर्माण अवधि बढ़ायें जाने का निर्णय लिया गया एवं एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 12 पर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने योग्य हैं। अतः एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 13 पर उल्लेखित प्रस्ताव की शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

7. एजेण्डा नम्बर 230.7 (17.09.2020)(जोन–13):–

विषयः– खसरा नम्बर 2060, 2061/2267, ग्राम कूकस, तहसील आमेर, दिल्ली रोड़, जयपुर के प्रस्तावित मोटल के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्रीमती जुई शर्मा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स ट्राईटन होटल्स एण्ड रिसोर्टस प्रा.लि.।

निर्णयः– *प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या–12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या–13 के प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

8. एजेण्डा नम्बर 230.8 (17.09.2020)(जोन–12):–

विषयः– हाथोज विस्तार, कालवाड़ रोड़ में आवंटित भूमि फेज ए, में फ्लैट्स के अनुमोदित भवन मानचित्रों की राशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में लौटायें जाने बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री आनन्द मिश्रा, ए.एन.ए. टाउनशिप डवलपमेन्ट प्रा.लि.।

निर्णयः– *समिति द्वारा एजेण्डा नोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि निदेशक (विधि), निदेशक (वित्त) एवं उपायुक्त जोन–12 की गठित कमेटी तथा प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता श्री आर.एन. कट्टा की दी गई राय की पुष्टि की गई एवं तदानुसार 6 प्रतिशंत की दर से ब्याज राशि की गणना करते हुए प्रार्थी को राशि लौटाई जावें। तदोपरान्त जोन द्वारा प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता श्री आर. एन. कट्टा को सूचना दिये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावें।*

9. **एजेण्डा नम्बर 230.9 (17.09.2020)(जोन–09):**– (JDA/2020-21/BPAS-206)

विषयः– खसरा नम्बर 171, 173 से 178, ग्राम टीलावाला (जगतपुरा), तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के ऑनलाईन भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री राजेश जैन जरिये पार्टनर, स्पार्कलर डवलपर्स एल.एल.पी.।

निर्णयः– *प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या–12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या–13 के प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

10. **एजेण्डा नम्बर 230.10 (17.09.2020)(जोन–12):–**

विषयः– खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493 एवं 498/2, ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री मनोज यादव, निदेशक, मैसर्स आदर्श अर्फोडेबल हाउसिंग प्रा.लि.

निर्णयः– *एजेण्डा नोट एवं भवन मानचित्रों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचारणीय बिन्दु के संबंध में यह तथ्य नोट किया गया कि विकासकर्ता को 200 आवासों का निर्माण दिनांक 20.11.2019 तक पूर्ण किया जाना था, किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार विकासकर्ता द्वारा 66 फ्लैट्स ही बनायें गये हैं। अतः नियमानुसार शास्ती आरोपित करते हुए एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 12 के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने योग्य हैं। अतः एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 13 पर उल्लेखित प्रस्ताव की शर्तो की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।*

11. **एजेण्डा नम्बर 230.11 (17.09.2020)(जोन–09):–**

विषयः– नीलामी के भूखण्ड संख्या एस–22, सेन्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः–एस.वी. चैम्बर, (प्रो.) श्रीमती नीता जगतानी।

निर्णयः– *समिति द्वारा एजेण्डा नोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा Split location के प्रस्ताव भवन मानचित्र जारी करने से पूर्व जविप्रा को प्रेषित किये जाने होगें अथवा आवश्यक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवास मूल परियोजना पर प्रस्तावित कर संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने होगें। अतः उक्तानुसार कमीपूर्ती पश्चात प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावें।*

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2020/डी–1320 दिनांकः– 21/9/2020

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति० आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–08, 09, 11, 12 एवं 13, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. उप निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 230वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2. श्री आलोक रंजन, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3. श्री आर.के. विजयवर्गीय, निदेशक, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4. श्री राजीव जैन, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5. श्री गिरीश पाराशर, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6. श्री ओ.पी. पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री मुकेश जांगिड, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।
2. श्री इन्द्र गोठवाल, नगर नियोजन सहायक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।